भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या -3019
दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

यूएनएससी का सुधार और विस्तार

3019. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत के लगातार प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के प्रस्ताव में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त के बावजूद, भारत को शीर्ष वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्था में शामिल किए जाने की अपनी मांग पर बल देना जारी रखना चाहिए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने इस मुद्दे को इस वर्ष 22-23 सितंबर, 2024 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र में भविष्योन्मुख शिखर सम्मेलन के दौरान उठाया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जी-4 देशों, जिनमें से सभी यूएनएससी में स्थायी सीट के दावेदार हैं, की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सदस्यता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। भारत इस प्रयास में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर संलग्न है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि उसके पास बेहतर और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए सभी योग्यताएं हैं, जो समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों पर चल रही अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) में सक्रिय रूप से शामिल है। भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच समर्थन जुटाने हेतु जी-4

समूह (भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी) तथा एल.69 समूह (एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का अंतर-क्षेत्रीय समूह) में अपनी सदस्यता के माध्यम से अन्य सुधार-उन्मुख देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार: "वर्तमान चार्टर में संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए तब लागू होंगे जब उन्हें महासभा के दो तिहाई सदस्यों के वोट से अपनाया जाएगा और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों द्वारा उनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।"

बड़ी संख्या में देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत की पहल का समर्थन किया है तथा साथ ही संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए हमारी उम्मीदवारी का भी समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने भविष्योन्मुख. संबंधी शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता को दोहराया। बड़ी संख्या में देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का भी आह्वान किया।

*****